

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**<sup>1</sup>[Rule 138E : Restriction on furnishing of information in PART A of FORM GST EWB-01**

Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of rule 138, no person (including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator or a courier agency) shall be allowed to furnish the information in **PART A of FORM GST EWB-01** <sup>2</sup>[in respect of any outward movement of goods of a registered person, who,-]

- (a) being a person paying tax under section 10, <sup>3</sup>[or availing the benefit of notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 02/2019- Central Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 189(E), dated the 7th March, 2019,] has not furnished the <sup>4</sup>[statement in **FORM GST CMP-08**] for two consecutive <sup>5</sup>[quarters]; or
- (b) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the returns for a consecutive period of <sup>6</sup>[two tax periods];
- <sup>7</sup>[(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be;]
- <sup>8</sup>[(d) being a person, whose registration has been suspended under the provisions of sub-rule (1) or subrule (2) or sub-rule (2A) of rule 21A:]

**Provided that** the Commissioner may, <sup>9</sup>[on receipt of an application from a registered person in **FORM GST EWB-05,**] on sufficient cause being shown and

- 
- 1 Rule 138E inserted by Noti. No. 74/2018-Central Tax, dt. 31-12-2018. It is made effective from 21.11.2019 by Noti. No. 36/2019-Central Tax, dt. 20-08-2019.
  - 2 Substituted for "in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who,-" by Noti No. 15/2021-Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.
  - 3 Inserted by Noti. No. 31/2019-Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.
  - 4 Substituted for "returns" by Noti. No. 31/2019-Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.
  - 5 Substituted for "tax periods" by Noti. No. 31/2019-Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.
  - 6 Substituted for "two months" by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.
  - 7 Clause (c) inserted by Noti. No. 75/2019-Central Tax, dt. 26-12-2019 w.e.f. 11-01-2020.
  - 8 Clause (d) inserted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

for reasons to be recorded in writing, by order <sup>10</sup>[in **FORM GST EWB-06**], allow furnishing of the said information in **PART A** of **FORM GST EWB 01**, subject to such conditions and restrictions as may be specified by him:

**Provided further** that no order rejecting the request of such person to furnish the information in **PART A** of **FORM GST EWB 01** under the first proviso shall be passed without affording the said person a reasonable opportunity of being heard:

**Provided also** that the permission granted or rejected by the Commissioner of State tax or Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be granted or, as the case may be, rejected by the Commissioner.

<sup>11</sup>**[Provided also that** the said restriction shall not apply during the period from the 20th day of March, 2020 till the 15th day of October, 2020 in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period February, 2020 to August, 2020:]

<sup>12</sup>**[Provided also** that the said restriction shall not apply during the period from the 1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.]

**Explanation**—For the purposes of this rule, the expression “Commissioner” shall mean the jurisdictional Commissioner in respect of the persons specified in clauses (a) and (b).]



---

<sup>9</sup> Inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019 w.e.f. 18-07-2019.

<sup>10</sup> Inserted by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019 w.e.f. 18-07-2019.

<sup>11</sup> Proviso inserted by Noti. No. 79/2020–Central Tax, dt. 15-10-2020 w.e.f. 20-03-2020.

<sup>12</sup> Proviso inserted by Noti. No. 32/2021–Central Tax, dt. 29-08-2021 w.e.f. 01-05-2021.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**<sup>1</sup>[नियम 138ड. : प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देने पर निर्बंधन**

नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिति, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कुरियर अभिकरण भी है) <sup>2</sup>[रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा] जो,—

(क) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति <sup>3</sup>[या भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 189 तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के लाभ का उपभोग करने वाला] है, उसने दो लगातार <sup>4</sup>[तिमाही] के लिए <sup>5</sup>[प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण] प्रस्तुत नहीं की है; या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने <sup>6</sup>[दो कर अवधि] की लगातार अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

<sup>7</sup>[(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है।

<sup>8</sup>[(घ) एक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के प्रावधानों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।

- 1 अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा नियम 138ड. अंतःस्थापित। यह संशोधन अधिसूचना क्रमांक 36/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2019 द्वारा 21.11.2019 से प्रभावशील किया गया।
- 2 अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्तकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।
- 3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
- 4 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "कर अवधियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
- 5 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "विवरणी" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।
- 6 अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा "दो मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।
- 7 अधिसूचना क्रमांक 75/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2020 द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 11.01.2020)।
- 8 अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा खंड (घ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

परन्तु आयुक्त <sup>9</sup>[प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-05 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर] पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तथा लिखित में <sup>10</sup>[वे कारण, जो आदेश द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-06 में लेखबद्ध किए जाए] ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुज्ञा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

<sup>11</sup>[परन्तु यह भी कि उक्त निर्बंधन 20 मार्च, 2020 से 15 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण फरवरी, 2020 से अगस्त, 2020 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।]

<sup>12</sup>[परन्तु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।]

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आयुक्त" पद से खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।]

- 
- 9 अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।
- 10 अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा "कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।
- 11 अधिसूचना क्रमांक 79/2020 - केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा परंतुक स्थापित (प्रभावशील दिनांक 20.03.2020)।
- 12 अधिसूचना क्रमांक 32/2021 - केन्द्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।